राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन शाखा)

प0 सं0 14/डी0एल0ए0, एस0 एस0 बी0–मधुबनी–13/13–अधिसूचना 3037 /रा0, पटना–15, दिनांक–30/12/2013

संख्या–......../डी.एल.ए.मधुबनी/2012.........../रा0 दिनांक...............

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गॉव **पिपरौन**, थाना न0.–**22** थाना–**बेनीपट्टी** अंचल –**हरलाखी** परगना .**भाला** जिला–**मधुबनी** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **एस0एस0बी0 कैम्प पिपरौन हेतु भू अर्जन** स्थापनार्थ के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गॉव**पिपरौन**के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कमोवेश रकवा **2-74-**.एकड़ होता है । अर्जनाधीन भूमि की सूची निम्न प्रकार है –खेसरा पुर्ण नं0–3536,3534,3560,3567,3561,3568,3569,3570, 3571, 3573, 3535 एवं अंश खेसरा नं0– 3559,3550,3537,3527,3528,3533,3562,3566,3574,3599,3600

–: सीमा सूची :–

उत्तरः–खेसरा नं0– 3601, 3566,3562, और 3559

दक्षिणः–खेसरा नं0–3528, 3527, 3537, 3538, 3550,3558, और 3557

पूरबः–खेसरा नं0–3559, 3615, (सड़क) 3558, 3555 और 3554

पश्चिमः– खेसरा नं0–3600, 3599, 3574, 3533, और 3528

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1984 की धारा 4 के उपबंधो के अधिन (जैसा कि बिहार अधिनियम–11, 1961 द्वारा संशोधित हुआ है।) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका उससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ,मधुबनी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी मधुबनी एंव अधियाची विभाग को भूमि पर आने जाने और उनका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य को समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

यह अधिनियम की धारा– 17–(4) प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 ए के उपबंध लागू नहीं होंगें।

राज्यपाल के आदेश

ह0

सरकार के सचिव

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी मधुबनी

अपर समाहर्ता मधुबनी

समाहर्ता मधुबनी

ज्ञापांक–3037/रा0 भू–अर्जन, पटना, दिनांक–30–12–13

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एंव जन–सम्पर्क निदेशालय , पटना को दो प्रतियों में सिडी सहित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमे एक स्थानिय भाषा में हो एंव कतरण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ,मधुबनी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः– प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय, मधुबनी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधोहसताक्षरी को 5 प्रति प्रकाशित गजट की प्रति शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः– समाहर्ता, मधुबनी/ अपर समाहर्ता, मधुबनी/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–कमांडेन्ट एस.एस.बी. जयनगर को सूचानार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव